बिहार विधान-सभा

की

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति

1982-83

का

17वां प्रतिवेदन

"बिहार पंचायती राज फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना"

(सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के
लोगों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व)

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा सचिवालय
(कल्याण समिति शाखा), पटना
1983

सदन में उपस्थापित करने की तिथि.............

विषय-सूची

पृष्ठ

1. प्रस्तावना

2. समिति का गठन .. .. .. क–ख

3. विषय का उपस्थापन .. .. .. ग–घ

4. प्रतिवेदन 1–2

5. सिफारिशों का सारांश 3

6. परिशिष्ट .. .. .. शून्य

प्रस्तावना

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति के सभापति की हैसियत से मैं समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो बिहार राज पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं, उपस्थापित करता हूं।

बिहार पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के प्रबंध निदेशक द्वारा दिये गए नियुक्ति एवं प्रोन्नति की विवरणी पर उप-समिति (1) द्वारा विचार-विमर्श किए जाने के उपरांत यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की मुख्य समिति ने दिनांक 17 मार्च 1983 की बैठक में इसे अनुमोदित किया।

विधान-सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये समिति इन्हें धन्यवाद देती है।

एस० के० बागे,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण समिति।

पटना :
दिनांक 17 मार्च 1983।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के मुख्य समिति (1982-83) का गठन ।

सदस्य का नाम ।

सभापति ।

(1) श्री एस० के० बागे, स०वि०स०

सदस्यगण

(2) श्री बनवारी राम, स०वि०स०
(3) श्री मुनी सिह, स०वि०स०
(4) श्री विश्वनाथ ऋषि, स०वि०स०
(5) श्री अरूण कुमार सिह, स०वि०स०
(6) श्री जवाहर प्रसाद सिह, स०वि०स०
(7) श्री अवध बिहारी सिह, स० वि० स०
(8) श्री महेश राम, स०वि०स०
(9) श्री संजीव प्रसाद टोनी, स०वि०स०
(10) श्री पीताम्बर पासवान, स०वि०स०
(11) श्री टीकाराम मांझी, स०वि०स०
(12) श्री नवल किशोर भारती, स०वि०स०
(13) श्रीमती मुक्तिदानी सुम्बरुई, स०वि०स०
(14) श्री कड़िया मुंडा, स० वि० स०
(15) श्री शिवनन्दन पासवान, स०वि०स०
(16) श्री रामलखन राम रमण, स०वि०स०
(17) श्री देवीपद उपाध्याय, स०वि०स०
(18) श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स०
(19) श्री सूर्यदेव सिह, स०वि०स०
(20) श्री हारु रजवार, स०वि०स०
(21) श्री जयकांत पासवान, स०वि०स०
(22) श्री दुती पाहन, स०वि०प०
(23) श्री राम प्रवेश पासवान, स०वि०प०
(24) श्रीमती स्टेनशीला हेम्ब्रम, स०वि०प०
(25) श्री राजकिशोर प्रसाद, स०वि०प०
(26) श्री राजदेव राम, स०वि०प०
(27) श्री भाई हालेन कुजूर, स०वि०प०
(28) सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स०वि०प०

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति की उप-समिति (1) के (1982-83) के सदस्यगण ।

सदस्य का नाम ।

संयोजक ।

(1) श्री टीकाराम मांझी, स०वि०स०,

सदस्यगण ।

(2) श्रीमती मुक्तिदानी सुम्बरुई, स०वि०स०
(3) श्री शिवनन्दन पासवान, स०वि०स०
(4) श्री पीताम्बर पासवान, स०वि०स०
(5) श्री भाई हालेन कुजूर, स०वि०प०
(6) श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स०
(7) श्री संजीव प्रसाद टोनी, स०वि०स०
(8) श्री राजकिशोर प्रसाद, स०वि०प०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(1) श्री विमलेन्दु नारायण सिन्हा—सचिव ।
(2) श्री अलख निरंजन प्रसाद—संयुक्त सचिव ।
(3) श्री अर्जुन प्रसाद—उप-सचिव ।
(4) श्री शिव प्रसाद शाह, अवर-सचिव ।
(5) श्री ब्रह्मदेव नारायण सिह—प्रशासी पदाधिकारी ।
(6) श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय—प्रशाखा पदाधिकारी ।
(7) श्री श्याम देव चौधर —प्रभारी सहायक ।

विषय का उपस्थापन

सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपबंध।

संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 335 के आलोक में राज्य सरकार ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपबंध किया है। अनुच्छेद 16(4) एवं 335 में उद्घत है :--

> "16(4) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबंध करने में कोई बाधा न होगी।"

> "335 संघ या राज्य के कार्यों से संयुक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पद्धति बनाए रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाएगा।"

(2) संविधान द्वारा प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये कार्मिक विभाग के पत्रांक 9908, दिनांक 13 नवम्बर 1953 के द्वारा 1951 की जनगणना के आधार पर जिन सेवाओं में और जिन पदों पर राज्य स्तर पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति की जाती है उनमें अनुसूचित जाति के लिये रिक्ति का 12 1|2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 10 प्रतिशत पद आरक्षित किया था। बाद की जनगणना के आधार पर राज्य स्तर पर सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण का प्रतिशत 12 1|2 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया और जनजाति के लिये पूर्ववत ही 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहा। यह आदेश तिथि 21 नवम्बर, 1970 में निर्गत हुआ और यह उसी समय से लागू है।

(3) राज्य सरकार द्वारा या उनके अधीनस्थ किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राज्य में हो, की गई सभी नियुक्तियां राज्य स्तर पर की गई नियुक्तियां होती हैं।

(4) क्षेत्रीय या स्थानीय संवर्गों, स्थापनाओं और कार्यालयों की ऐसी रिक्तियाँ जिनमें राज्य सरकार के केवल क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी अधीनस्थ पदाधिकारी (जैसे प्रमंडल आयुक्त, जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक) द्वारा नियुक्ति की जाती हो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष रूप से आरक्षित रखी गयी है। किन्तु लोक सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए ऐसा आरक्षण जिला स्तर से नीचे नहीं लागू होता है।

(5) प्रमंडलों और जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत प्रत्येक जिला में ऐसी जाति की जनगणना के आधार पर अलग-अलग निश्चित किया गया है।

(6) बिहार पंचायती राज फाइनेंस कारपोरेशन लि०, पटना, बिहार सरकार का एक प्रतिष्ठान है। यह राज्य के पंचायतों को वित्त प्रदान करने का कार्य करता है। यहां राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन होता है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये सेवाओं और पदों में आरक्षण का जो निदेश दिया है उसके आधार पर उन जातियों को वहां प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। प्रबंध निदेशक, ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की मांग पर जो विवरण प्रस्तुत किया है, उसे उक्त नियम के संदर्भ में देखना है। निगम में श्रेणी (1) के 2 पद (प्रबंध निदेशक एवं कंपनी सचिव) स्वीकृत हैं, जिनमें कंपनी सचिव का पद रिक्त है। प्रबंध निदेशक का पद वाह्य सेवा शर्तों पर आधारित प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है।

(7) निगम में श्रेणी (2) के कुल 27 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 23 पद पर लोग कार्यरत हैं, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोई भी पदाधिकारी नहीं हैं। निगम से प्राप्त विवरणी के अनुसार सभी पद वाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के पद हैं। श्रेणी (2) के पदों में 20 कार्यपालक पदाधिकारी के स्वीकृत पदों में से 16 पद वाह्य सेवा के तथा 4 पद निगम का निजी पद है, जिनमें 1 पद को निगम ने प्रोन्नति से भरा है, और शेष 3 पद कार्यपालक पदाधिकारी के रिक्त हैं, यानि 20 स्वीकृत पद में 17 पद पर ही लोग कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 1 पद विशेष पदाधिकारी (उद्योग) का भी रिक्त है। समिति द्वारा श्रेणी (2) के पदों के संबंध में विचारोपरांत यह पाया गया कि श्रेणी (2) के पदों पर एक भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं हैं। इसमें प्रतिनियोजन के समय तथा विभाग द्वारा 1 पद पर प्रोन्नति देते समय भी उक्त जाति को स्थान नहीं दिया गया। समिति की सिफारिश है कि श्रेणी (2) में कार्यालय के पदाधिकारी के रिक्त 3 पदों पर नियमानुसार उक्त जातियों को आरक्षण देने की निगम कारंवाई करे।

(8) निगम के श्रेणी (3) में कुल 115 पद स्वीकृत हैं और अभी 82 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 9 व्यक्ति एवं अनुसूचित जन जाति के 4 व्यक्ति कार्यरत हैं। श्रेणी (3) के पदों को देखने से समिति को ऐसा बोध होता है कि इसमें उक्त जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। श्रेणी (3) में 12 तरह के पद निगम के अधीन है। वरीय अंकेक्षण का 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें मात्र 2 व्यक्ति ही कार्यरत हैं, शेष 1 पद रिक्त है, जो वाह्य सेवा शर्त्त पर प्रतिनियुक्ति का है। प्रवर कोटि सहायक का 2 पद स्वीकृत है परन्तु इस पद पर कोई व्यक्ति नहीं हैं। सहायक का 9 पद स्वीकृत

हैं जिसमें 8 पद पर व्यक्ति कार्यरत हैं, शेष 1 पद रिक्त है इसमें 2 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो 25 प्रतिशत ही आता है। लेखापाल का 2 पद स्वीकृत है, जिसमें 1 पद पर सामान्य जाति के व्यक्ति कार्यरत हैं और शेष पद अभी रिक्त है। सहायक लेखापाल के 7 पद स्वीकृत हैं, जिनमें सामान्य जाति के 5 व्यक्ति कार्यरत हैं और शेष 2 पद रिक्त आशुलिपिक वर्ग (2) के 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें सामान्य जाति के 2 व्यक्ति कार्यरत हैं, और शेष 1 पद रिक्त है। इसी प्रकार सहायक कार्यपालक पदाधिकारी के 32 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 17 पद पर व्यक्ति कार्यरत हैं, इन 17 पदों में 2 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जो मात्र 12 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति को कोई भी व्यक्ति नहीं है। आशु टंकक का कुल 1 पद स्वीकृत है जिस पर सामान्य जाति के व्यक्ति कार्यरत हैं। टंकक-सह-लिपिक के 47 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 38 पदों पर व्यक्ति कार्यरत हैं और शेष 9 पद रिक्त हैं। उक्त 38 पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में 4 अनुसूचित जाति के हैं, जो 11 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति का है, जो 8 प्रतिशत है, इसमें भी उक्त जातियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण कोटे के अनुसार पूरा नहीं हुआ है। 3 प्रशिक्षित शिल्पों के स्वीकृत 3 पदों में सामान्य जाति के ही 3 व्यक्ति कार्यरत हैं, चालक का 4 पद स्वीकृत है और सभी पद पर व्यक्ति कार्यरत हैं, जिसमें मात्र 1 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जो 25 प्रतिशत है। अभिलेख वाहक का 1 पद है, जिस पर सामान्य जाति के व्यक्ति कार्यरत है। अनुधावक का 1 पद स्वीकृत है और वह पद रिक्त है। इस तरह समिति के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि निगम द्वारा आरक्षण नियमों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया गया है तथा निगम में बहुत सारे पदों को अभी तक रिक्त रखा गया है। समिति की सिफारिश है कि श्रेणी (3) के सभी रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई निगम द्वारा शीघ्र की जाय। समिति की यह भी सिफारिश है कि श्रेणी (3) के जिन-जिन पदों पर आरक्षण नियम के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाय।

(9) श्रेणी (4) के कुल 59 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 58 पद पर व्यक्ति कार्यरत हैं, और शेष 1 पद रिक्त है। इन पदों में 11 पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और 6 पदों पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कार्यरत हैं। श्रेणी (4) में दफ्तरी का 1 पद स्वीकृत है, जिस पर सामान्य जाति का 1 व्यक्ति कार्यरत है। चपरासी-सह-रात्रि प्रहरी को 57 स्वीकृत पदों में से 56 पदों पर व्यक्ति कार्यरत हैं, इन पदों में अनुसूचित जाति के 10 व्यक्ति जो 18 प्रतिशत है और अनुसूचित जन-जाति के 6 व्यक्ति हैं, जो 10 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 1 पद मेहतर का है, जिस पर अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति कार्यरत है। इस तरह श्रेणी (4) के पदों में आरक्षण नियमों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया गया है।

समिति के सिफारिशों का सारांश

क्रम सं०	प्रतिवेदन की पारा संख्या	
1	7	समिति की सिफारिश है कि श्रेणी (2) में कार्यपालक पदाधिकारी के रिक्त 3 पदों पर नियमानुसार उन जातियों को आरक्षण प्रदान करने की निगम कार्रवाई करे।
2	8	समिति की सिफारिश है कि श्रेणी (3) के सभी रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई निगम द्वारा शीघ्र किया जाय।
3	8	समिति की सिफारिश है कि श्रेणी (3) के जिन-जिन पदों पर आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, उन्हें यथा संभव प्रतिनिधित्व शीघ्र दिये जायं।

बि०स०मु० (एल०ए०) 10 - मोनो --600---5-5-1983---कि0 पंडित

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1983